

दिल्ली विधान सभा Delhi Legislative Assembly

कार्य मंत्रणा समिति Business Advisory Committee

> वारहवाँ प्रतिवेदन Twelfth Report

दिनॉक 11 अप्रैल, 2007 को प्रस्तुत Presented on 11st April, 2007

दिल्ली विधान सभा सचिवालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली -110054 Delhi Legislative Assembly Secretariat, Old Secretariat, Delhi-110054

समिति की सदस्यता COMPOSITION OF THE COMMITTEE

<i>1</i> .	चौ. प्रेम सिंह, माननीय अध्यक्ष	सभापति
	Ch. Prem Singh	Chairman
2.	श्री शोएव इकबाल,माननीय उपाध्यक्ष	सदस्य
	Shri Shoaib Iqbal, Hon`ble Dy. Speaker	Member
3.	श्री रमाकान्त गोस्वामी,मुख्य सचेतक	सदस्य
	Shri Ramakant Goswami, Chief Whip	Member
4.	थी अनिल भारद्वांज	सदस्य
	Shri Anil Bhardwaj	Member
5	श्री मालाराम गंगवाल	सदस्य
	Shri Malaram Gangwal	Member
6.	थी राजेश जैन	सदस्य
	Sh. Rajesh Jain	Member
7.	श्री साहब सिंह चौहान	
		सदस्य
	Shri Sahab Singh Chauhan	Member
8.	श्री एस पी रातावाल	सदस्य
	Shri S.P. Ratawal	Member
9.	श्री रामवीर सिंह बिधुड़ी	
0.		सदस्य
	Shri Rambir Singh Bidhuri	Member

विधान सभा सचिवालय Assembly Secretariat:

1	श्री सिद्धार्थ राव		सचिव
	Shri Siddharath Rao		Secretary
2	श्री जी०एस0 रावत		संयुक्त सचिव
	Shri GS Rawat		Joint Secretary
3	श्री ए0बी0 चक्रबर्ती	*5	अवर सचिव (विधायी)
	Shri AB Chakraborty		Under Secretary (Legislation)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली -110054 Delhi Legislative Assembly Secretariat, Old Secretariat, Delhi-110054

Twelfth Report of the Business Advisory Committee

Twelfth Meeting of Business Advisory Committee held on Monday 9th April 2007 at 10.30 A M.

I <u>Obituary References</u>: The Committee has decided to pay homage to the following and which should be made on 11th April 2007:-

1. Sh. Ram Prakash Gupta, Ex-Member, Delhi Metropolitan Council.

2. Sh. Markandey Singh, Ex-Lt. Governor, Delhi

II <u>Government Business</u>: The Committee was apprised that no notices for government bill has been received by the secretariat till date i.e 04.4.2007.

The Cabinet has proposed that the Budget be presented on Monday the 16th April 2007 and taken up for voting on the 19th April 2007. The Committee agreed to the proposal.

Moreover, one Bill i.e. 'The Delhi Fire Service Bill, 2001' has been returned by the Hon'ble President for reconsideration by the Assembly. Under Section 25 of 'The Government of the National Capital Territory of Delhi Act, 1991, a Bill which has been so returned shall be reconsidered by the Assembly within six months from the date of receipt of the message of the Lieutenant Governor i.e. 15th March 2007. The Government's response is still awaited.

III Other Business: The Committee was apprised that no fresh Notices for Short duration discussion had been received till date i.e 04.4.2007.

IV Reports of the Committee:

The following Reports shall be presented during the Session:-

1. Twelfth Report of Business Advisory Committee

2. Ninth Report of Private Members Bills and Resolutions Committee

The Committee authorized Shri Ramakant Goswami and in his absence, Shri S.P. Ratawal to present the report to the House on the 11th April, 2007.

9th April,2007 Delhi Ch. Frem Singh Chairman and Speaker

दिल्ली विधान सभा

कार्य मंत्रणा समिति का बारहवां प्रतिवेदन

कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सोमवार दिनांक 9 अप्रैल,2007 को प्रात: 10.30 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय के कक्ष,पुराना सचिवालय में सम्पन्न हुई।

समिति ने 11 अप्रैल,2007 से प्रारम्भ होने वाले सत्र में लिये जाने वाले विषयों का

निम्नानुसार निर्धारण किया:-

निधन सम्बन्धी उल्लेख: सिमिति को बताया गया कि दिल्ली महानगर परिषद के पूर्व सदस्य श्री राम प्रकाश गुप्ता एवं दिल्ली के पूर्व राज्यपाल श्री मार्कन्डेय सिंह का निधन हो गया है। सदन द्वारा 11 अप्रैल,2007 को उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त की जायेगी।

सरकारी कार्य: सिमिति को सूचित किया गया कि दिनांक 04 अप्रैल, 2007 तक सरकार की तरफ से किसी सरकारी विधेयक की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

समिति को जानकारी दी गई कि सरकार ने 16 अप्रैल,2007 को वार्षिक बजट

प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है,जिस पर 19 अप्रैल,2007 को मतदान होगा।

समिति को यह भी बताया गया कि एक विधेयक दिल्ली अग्निशमन सेवा विधेयक, 2001 को माननीय राष्ट्रपति द्वारा विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापिस किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा-25 के अन्तर्गत जो विधेयक वापस किये जाते हैं, उन्हें उपराज्यपाल से सूचना प्राप्त होने की तिथि (यानिकि 15 मार्च,2007) के 6 महीने के भीतर विधान सभा द्वारा पुनर्विचार किया जाना आवश्यक होता है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई सूचना इस संबंध में प्राप्त नहीं हुई है।

अन्य कार्य: दिनांक 4 अपैल, 2007 तक विधान सभा सचिवालय को अल्पकालिक चर्चा आदि की सूचनाएं प्राप्त नहीं हुई है।

समितियों के प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण: समिति को बताया गया कि इस सत्र में निम्नलिखित समितियों के प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किये जायेंगे:-

1. कार्य मंत्रणा समिति का बारहवां प्रतिवेदन

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति का नौवां प्रतिवेदन

समिति ने श्री रमाकान्त गोस्वामी एवं उनकी अनुपस्थिति में श्री एस. पी रातावाल को समिति का प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करने के लिये प्रविकृत किया।

दिल्ली। 09 अप्रैल,2007

कार्य मंत्रणा समिति